

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/185731/KNJ/KANNAUJ/1147/CFO

दिनांक : 23-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **B.D. GLOBAL SCHOOL** पता **Gata No. 453, Gram and Mauja- Udaitapur, Kannauj, Kannauj** तहसील - **Kannauj** प्लॉट एरिया **8100.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2497.20** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
School	2	0	7.01 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **B.D. GLOBAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **23-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **YOGENDRA SINGH TOMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-01-2026** से **22-01-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **B.D. GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **B.D. GLOBAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : This NOC is Issued on report of FSSO sadar All fire fighting system Installed according to NBC 2016.1. All firefighting systems is in working condition this is liability of owner. 2. All access and means of escape shall be free from any obstacle. 3. Electrical Safety Audit of premises is Mandatory. 4. This final NOC is valid at school till first floor. 5. To compliance F&ES act and regulation 2024. 6. To Comply Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY & The Drawing Approval is MANDATORY from COMPETENT AUTHORITY as submitted. 7. Before any construction in building permission/NOC from the department is mandatory If applicant not ensure safety direction this NOC is liable to be rejected from the date of issue.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MUQIMUL HAQ

EB1310357A7559F275F4BE5121C0AB78A453F275

23-01-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-01-2026
स्थान : KANNAUJ

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.